

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक-343 दिनांक-18.07.2026 द्वारा सूचित किया गया कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री दीपक कुमार भारद्वाज, (कोटि क्रमांक-372/2024), तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, खगड़िया सदर, खगड़िया को लखीसराय थाना काण्ड संख्या-379/2026 दिनांक-17.07.2026 में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2022 की धारा-30(ए)/37 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है। उक्त के क्रम में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक-346 दिनांक-22.07.2026 के साथ संलग्न अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक-320 दिनांक-21.07.2026 में प्रतिवेदित किया गया कि प्रासंगिक काण्ड के अभियुक्त श्री दीपक कुमार भारद्वाज, आपूर्ति निरीक्षक, खगड़िया सदर, पे0-अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, कार्यान्वयन नगर, वार्ड नं0-08, लखीसराय को दिनांक-17.07.2026 को शराब के नशे में होने तथा अवैध शराब के साथ रंगे हाथ गिरफ्तारी के उपरान्त माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

जिला पदाधिकारी, खगड़िया एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया से प्राप्त उक्त सूचना तथा श्री भारद्वाज के विरुद्ध प्रतिवेदित गंभीर आरोप के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक-4409 दिनांक-29.07.2026 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-9(2)(क) में वर्णित प्रावधानों के तहत उन्हें गिरफ्तारी के उपरान्त कारा-निरोध की तिथि-17.07.2026 के प्रभाव से निलंबित किया गया।

2. उक्त के क्रम में आयुक्त के सचिव-सह-उप निदेशक (खाद्य), मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के आदेश ज्ञापांक-4976 दिनांक-29.08.2026 के माध्यम से सूचित किया गया है कि श्री भारद्वाज द्वारा दिनांक-20.08.2026 को पूर्वाह्न में आयुक्त कार्यालय में अपना योगदान समर्पित किया गया है, जिसे उक्त तिथि के पूर्वाह्न से ही स्वीकृत किया गया है। फलतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-9(3)(i) में वर्णित प्रावधान के आलोक में श्री भारद्वाज द्वारा समर्पित योगदान को अनुमोदित करते हुए योगदान की तिथि यथा-20.08.2026 से उन्हें निलंबन मुक्त किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में बितायी गयी सेवा के वेतनादि के संबंध में निर्णय पृथक आदेश द्वारा निर्गत किया जायेगा।

4. आदेश पर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

(दीपक कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र08-गो0आ0(खगड़िया)-18/2026 **5855** /खाद्य, पटना/दिनांक **21/9/26**

प्रतिलिपि-1. प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. आयुक्त के सचिव-सह-उप निदेशक (खाद्य), मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया एवं अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. जिला कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. उप सचिव, प्रशाखा-03 एवं आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7. श्री दीपक कुमार भारद्वाज, (कोटि क्रमांक-372/2024), तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, खगड़िया सदर, खगड़िया, मोबाईल संख्या-9891665115, E-mail : deepakdhamma@gmail.com को विभागीय मुख्यालय में योगदान समर्पित करने हेतु निदेशित किया जाता है।

(दीपक कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।